**उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 19 के अधीन राष्ट्रीय आयोग में अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निराकरण आयोग ..........................**

अपील संख्या .................................. सन् .................................

जिला फोरम् ................................ (स्थान का उल्लेख करें) के आदेश के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 19 के अधीन अपील

अबक (वर्णन तथा निवास स्थान को जोड़ें) .............................. अपीलार्थी / प्रत्यर्थीगण

बनाम

कखग (वर्णन निवास स्थान को जोड़े) .............................. प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

सेवा में,

राष्ट्रीय आयोग के आदरणीय अध्यक्ष एवं उसके साथी सदस्यगण।

श्रीमानजी,

अपीलार्थी/अपीलार्थीगण अति सादर पूर्वक प्रदर्शित करता है/करते हैं: ..........................

1. यह अपील संख्या .......................... सन् .........................में राज्य आयोग .............................. (स्थान का नाम) दिनांकित ....................................के आदेश के विरुद धारा 19 के अधीन अपील में है।
2. यह कि अपील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 19 उपबन्धों के अनुसार आदेश की तारीख से 30 दिनों की एक कालावधि के अन्दर दायर की जाती है।

या

यह कि यह अपील 30 दिनों की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् दायर की जा रहा है, क्योंकि यह विलंब के दोषमार्जन के लिए इस अपील के साथ-साथ दाखिल किये गये आवदन पत्र में वर्णित कारणोवश विहित कालावधि के अन्दर नहीं दाखिल की जा सकी थी। कथित आवेदन पत्र एक शपथ-पत्र द्वारा विवादग्रस्त बना दिया जा रहा है।

1. वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील दाखिल की गयी के आक्षेप्य के आधारों का संक्षिप्त तौर पर किसी तर्क या वर्णन के बगैरपृथक शीर्षों के अधीन उपवर्णन किया जा सकेगा; ऐसे आधारों को क्रमशः संख्यांकित किया जाना है।
2. दावाकृत होने वाले अनुतोष/अनुतोषों को विवरण सहित प्रार्थना खण्ड का कथन किया जाना है।

अपीलार्थी/अपीलार्थीगण

व्यक्तिगत तौर पर या जरिये अधिवक्ता

तारीख ............................

**उपबन्ध:**

1. उस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिप जिसके विरुद्ध अपील की गयी।